संख्या- 22/2024/209/छप्पन-2024-34/1994

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 16 फरवरी, 2024

विषय: लाल बहादुर शास्त्री अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी के विस्तारीकरण हेतु भूमि क्रय के लिए धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 344/ना0उ0नि0/वाराणसी/23-24 दिनांक 13 फरवरी, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वाराणसी एयरपोर्ट के विकास/विस्तारीकरण हेतु शासनादेश दिनांक 22 सितम्बर, 2023 द्वारा स्वीकृति धनराशि रू0 10,18,25,00,000/- (रूपए दस अरब अठ्ठारह करोड़ पच्चीस लाख मात्र) के सापेक्ष धनराशि रू0 3,25,00,00,000/- (रूपए तीन अरब पच्चीस करोड़ मात्र) का धनावंटन/स्वीकृति जिलाधिकारी, वाराणसी के निर्वतन पर रखे जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- शासनादेश संख्या 102/2023/1326/छप्पन-2023-34/1994 दिनांक 22 सितम्बर 2023 द्वारा लाल बहादुर शास्त्री अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी के विकास/विस्तारीकरण हेतु भूमि क्रय के लिए कुल अनुमानित धनराशि रू0 10,18,25,00,000/- (रूपए दस अरब अठ्ठारह करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि रू0 5,50,00,00,000/- (रूपए पाँच अरब पचास करोड़ मात्र) अवमुक्त कर दी गई है।

जिलाधिकारी, वाराणसी के पत्र दिनांक 02 फरवरी, 2024 द्वारा अवशेष धनराशि रू0 4,26,96,80,817/- (रूपए चार अरब छब्बीस करोड़ छियानबे लाख अस्सी हजार आठ सौ सत्रह मात्र) की धनराशि उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया है। जिलाधिकारी, वाराणसी के उक्त पत्र के प्रस्तावानुसार मूल स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि (10,18,25.00 लाख - 55000.00 लाख = 46825.00 लाख) में शासकीय भूमि से सम्बन्धित धनराशि रू0 4213.415 लाख को घटाने के उपरान्त अवशेष धनराशि रू0 42611.585 लाख (रूपए चार अरब छब्बीस करोड ग्यारह लाख अट्ठावन हजार पाँच सौ मात्र) होती है, जिसमें प्रशासनिक व्यय के रूप में धनराशि रू0 85,22,317/- को जोड़ते हुए कुल धनराशि रू0 4,26,96,80,817/- की मांग की गई है। शासन द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में लाल बहादुर शास्त्री अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी के विस्तारीकरण हेतु भूमि क्रय किए जाने में प्रशासनिक व्यय मद में धनराशि देय नहीं है।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लाल बहादुर शास्त्री अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी के विकास/विस्तारीकरण हेतु भूमि क्रय के लिए शासनादेश संख्या 102/2023/1326/ छप्पन-2023-34/1994 दिनांक 22 सितम्बर, 2023 द्वारा रू0 10,18,25,00,000/- (रूपए दस अरब अठ्ठारह करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि रू0 3,25,00,00,000/- (रूपए तीन अरब पच्चीस करोड़ मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिलाधिकारी, वाराणसी के निवर्तन पर रखे जाने हेतु अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(8) उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(10) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(11) वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा रही धनराशि के सापेक्ष यदि कोई बचत होती है, तो बचत की धनराशि जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा राजकोष में जमा कराई जाएगी।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(12) उक्त के अतिरिक्त पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या 102/2023/1326/छप्पन-2023-34/1994 दिनांक 22 सितम्बर 2023 में उल्लिखित शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगी।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 3,25,00,00,000/- (रूपए तीन अरब पच्चीस करोड़ मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, वाराणसी के निर्वतन पर रखी जायेगी और जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

5- प्रश्नगत धनराशि वित्तीय वर्ष 2023-2024 के अनुदान संख्या-38 पूंजी लेखा "लेखाशीर्ष ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-60-भूमि क्रय'' से वहन की जाएगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: ई-7-503/दस-2023-24, दिनांक 16 फरवरी, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

संख्या- 22/2024/209(1)/छप्पन-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10

3- आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।

4- जिलाधिकारी, वाराणसी को उनके पत्र संख्या 542/आठ-वि0भू0अ0अ0(सं0सं0) वाराणसी दिनांक 02 फरवरी, 2024 के सन्दर्भ में।

5- निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वरिष्ठ कोषाधिकारी, वाराणसी।

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-1/राजस्व अनुभाग-13.

8- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।